‘खाद्य सुरक्षा बिल में बच्चों के लिए प्रावधान नहीं’

नई दिल्ली। मंत्रियों के समूह से स्वीकृति प्राप्त कर चुके राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा विधेयक के मसौदे को लेकर एक नया विवाद उत्पन्न हो गया है। सामाजिक कार्यकर्ताओं का कहना है कि इसमें बच्चों के अधिकारों का खयाल नहीं रखा गया है।

विधेयक के इस मसौदे को केंद्रीय खाद्य एवं उपभोक्ता मामलों के मंत्रालय ने तैयार किया है। जन स्वास्थ्य अभियान के तहत छह वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए काम करने वाले एक कार्य समूह का कहना है, ‘सरकार ने बच्चों के लिए खाद्य सुरक्षा से संबंधित विशेष मुद्दों पर ध्यान नहीं दिया है, जबकि कुल आबादी में उनकी संख्या करीब 40 प्रतिशत है और वे कुपोषण के सबसे अधिक शिकार हैं।’ कार्य समूह ने राष्ट्रीय सलाहकार समिति द्वारा तैयार विधेयक के मसौदे की प्रशंसा की है। **(एजेंसी)**